

बिहार सरकार
खेल विभाग

ज्ञापांक-5/ए० 1-03/2026-312/सेवा में,

पटना, दिनांक-31/7/2026

महालेखाकार, बिहार (ले. एवं ह.),
वीरचन्द्र पटेल पथ,
पटना।

विषय :- मुख्यमंत्री खेल विकास योजना अन्तर्गत "एकलव्य राज्य आवासीय खेल प्रशिक्षण केन्द्रों" के संचालन हेतु कुल ₹4,50,00,000/- (चार करोड़ पचास लाख) रुपये मात्र की स्वीकृति।

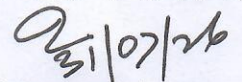
आदेश :- स्वीकृत।

2. राशि का विकलन वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 में मांग संख्या-52 के अधीन बजट शीर्ष "2204 -खेलकूद तथा युवा सेवाएँ 104-खेल-कूद 0109- खेल कूद" विपत्र कोड-52-2204001040109, मांग संख्या-52 के अधीन बजट शीर्ष "2204 - खेलकूद तथा युवा सेवाएँ 789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 0102-खेल कूद" विपत्र कोड-52-2204007890102 एवं मांग संख्या -52 के अधीन बजट शीर्ष "2204 - खकैलकूद तथा युवा सेवाएँ 796-जनजातीय क्षेत्र उप योजना 0101-खेल कूद" विपत्र कोड- 52-2204007960101 के अन्तर्गत विषय शीर्ष-20-03- प्रशिक्षण मद में उपबधित राशि से व्यय होगा, जिसकी विस्तृत व्यय विवरणी निम्नवत् है :-

क्र०	विपत्र कोड	विषय शीर्ष	राशि
1	52-2204001040109	20-03	3,73,50,000.00
2	52-2204007890102	20-03	72,00,000.00
3	52-2204007960101	20-03	4,50,000.00
कुल योग =			₹4,50,00,000.00

3. राशि की निकासी अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, खेल विभाग, बिहार, पटना द्वारा सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जायेगी तथा सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से महानिदेशक-सह-मुख्य कार्यकारी अधिकारी, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण, पटना के नाम से संधारित पी०एल० खाता PBBPLA035 में अंतरित किया जायेगा।
4. स्वीकृत राशि का लेखा-जोखा अलग रखा जायेगा। भारत सरकार/बिहार सरकार के वित्त अंकेक्षण को स्वीकृत राशि के अंकेक्षण का अधिकार होगा। स्वीकृत राशि या उसके किसी अंश के दुरुपयोग प्रमाणित होने पर राशि वसूलनीय होगी।
5. स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं अंकेक्षण प्रतिवेदन ससमय खेल विभाग को विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराया जायेगा।
6. यह स्वीकृति वित्त विभाग के संकल्प सं०-12888, दिनांक-03.12.2024 में निहित प्रावधान के आलोक में दी गयी है।
7. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,



(निरंजन कुमार)

सरकार के संयुक्त सचिव।

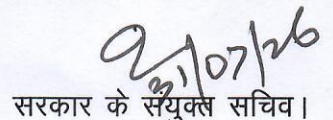
ज्ञापांक-312/

पटना, दिनांक-31/7/2026

प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- महानिदेशक-सह-मुख्य कार्यकारी अधिकारी, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- सचिव के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक (खेल), खेल विभाग, बिहार, पटना/उप निदेशक, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण, पटना/अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी-02 एवं 05/लेखा शाखा (दो प्रतियों में)/आई.टी. मैनेजर (विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु), खेल विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


सरकार के संयुक्त सचिव।